भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

**लोक सभा**

लिखित प्रश्न सं. †3807

सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**आतिथ्य उद्योग के लिए डिजिटल पहल को सुदृढ़ करना**

**†3807. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेवा प्रदायगी और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए आतिथ्य उद्योग के राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निधि) और बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन जैसी डिजिटल पहलों को सुदृढ़ करने हेतु किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को 'उद्योग का दर्जा' देने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्यटकों के आगमन और अन्य गंतव्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा ई-वीज़ा के विस्तार और जीएसटी में छूट देने के लिए उठाए गए कदमों/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क): पर्यटन मंत्रालय ने अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर सेवा प्रदायगी को ध्यान में रखते हुए, आवास इकाइयों के वर्गीकरण और पर्यटन सेवा प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रस्तावों की प्राप्ति, प्रोसेसिंग और अनुमोदन प्रदान करने संबंधी एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। इसके लिए राष्ट्रीय आतिथ्य उद्योग एकीकृत डेटाबेस (निधि+) पोर्टल अर्थात nidhi.tourism.gov.in पर आवेदन किए जा सकते हैं। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को पेमेंट गेटवे के साथ भी जोड़ा गया है।

पर्यटकों की यात्रा को सुरक्षित और हिफाजत युक्त बनाने के लिए अपने नियमित प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए टोल फ्री नंबर 1800111363 या संक्षिप्त कोड 1363 पर 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित 12 भाषाओं में 24x7 बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन स्थापित की है, ताकि भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के संदर्भ में सहायता सेवा प्रदान की जा सके और भारत के भीतर यात्रा करते समय संकट में फंसे पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन दिया जा सके।

(ख): जी हां, पर्यटन मंत्रालय ने सितंबर, 2024 में पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र के लिए उद्योग का दर्जा नामक एक पुस्तिका लॉन्च की। इसमें दी गई जानकारी को राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को अपनी-अपनी उद्योग/पर्यटन नीति में अपनाने के लिए परिचालित किया गया है।

(ग): ई-वीजा योजना अब 175 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जो 33 नामित हवाई अड्डों, 19 नामित बंदरगाहों और 4 भूमि पत्तनों के माध्यम से प्रवेश हेतु वैध हैं।

सरकार ने दिनांक 22.09.2025 से आतिथ्य क्षेत्र सहित व्यापार एवं वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण दरों में कटौती करते हुए एक सरल जीएसटी संरचना को लागू किया। लागू किए गए माल और सेवा कर (जीएसटी) संबंधी सुधार भारत के पर्यटन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की ओर उन्मुख हैं, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों के लिए यात्रा अधिक किफायती और सुलभ हो जाएगी।

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को प्रभावित करने वाले जीएसटी संबंधी सुधारों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

(i) 7,500 रु. प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% (आईटीसी के बिना) कर दी गई है।
(ii) 10 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाली बसों पर जीएसटी की दर 28% से घटा कर 18% कर दी गई है।
(iii) कारीगरों और मूर्तिकारों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करते हुए कला एवं सांस्कृतिक वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटा कर 5% कर दी गई है।
(iv) टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, खाद्य एवं संबंधित सामग्री: अधिकांश खाद्य और संबंधित उपभोग की जाने वाली सामग्रियों पर अब 5 प्रतिशत की दर या कुछ पर शून्य जीएसटी है। इसी तरह, आतिथ्य क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली कई वस्तुओं जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी आदि में जीएसटी कम हो गया है, जिससे उनके संचालन लागत एवं पूंजीगत व्यय में कमी सहित इस क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

*****